राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर–302001   दूरभाष 0141–2374644

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा–105/2024/2623   दिनांक:–12.03.2025

कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव,परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.17(4) परि/2023(5784) जयपुर, दिनांक 12.03.2024 के माध्यम से वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 162400544 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढाकर 50 प्रतिशत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

उक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा में निगम की बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढाकर 50 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त रियायती यात्रा सुविधा आर.एफ.आई.डी. कार्ड के माध्यम से देय होगी।

इस रियायती यात्रा से निगम पर पड़ने वाले वित्तीय भार के पुनर्भरण की गणना पूर्वानुसार आदेश संख्या एफ4/मु./याता./लेखा/2011/1335 दिनांक 07.06.2011 के अनुसार प्रतिमाह अन्य निःशुल्क/रियायती यात्रा के वित्तीय भार की सूचनाओं के विवरण के साथ सांख्यिकी शाखा, मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ.ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

RajKaj Ref
6069515

P.T.O.